10

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी/आरकेसी/मेन्यू कॉटन–5 /2017/ दिनांक :

आदेश

फर्म मैसर्स Jaipur Jai Hind Hathkargha Vastra Utpadak Sahkari Samiti Ltd, F-19, Kartarpura Indl. Area,Bais Godam, Jaipur (Raj.) (जिसे आगे से "लाईसेन्सी" के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः "अधिनियम" एवं "नियमावली" शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-1547 प्रपत्र 25 पर दिनांक 18.06.1992 को जारी जो दिनांक 31.12.2016 तक वेद्य था। आगामी नवीनीकरण हेतु आवेदितशुदा है। श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक औषधि नियंत्रक, सेठी कॉलोनी, जयपुर के पत्र कमांक एडीसी/एम.एस.एस./2016/1818 दिनांक 20.12.2016 की अनुपालना में श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सबल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 04.01.2017 को सयुंक्त रूप से फर्म का निरीक्षण श्री रमेश चन्द शर्मा की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण आपको उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक ADC(R.K.C.)/Mfg. Cotton 19/2017/20 दिनांक 10.03.2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। साथ **ही फर्म को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 35 दिनांक 05.04.17, 56 दिनांक 30.06.17 व 125 दिनांक 09.08.17 के द्वारा जवाब प्रेषित करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये किन्तु फर्म द्वारा कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया एवं न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई के अवसर का उपयोग किया। जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 22.08.17 को संस्था का निरीक्षण कर स्पोट रिपोर्ट प्रेषित की गई।** जिसके अनुसार फर्म का पता प्रदर्शित नहीं था एवं फर्म बंद पाई गई एवं श्री विमल कुमार को निरीक्षण अधिकारी द्वारा फोन पर कॉल करने पर यह कहा गया कि वे निरीक्षण करवाने के लिये ना आज उपलब्ध हैं न भविष्य में उपलब्ध रहेंगे एवं निरीक्षण के समय फर्म के अन्दर तथा बाहर निर्माण कार्य गतिविधि नहीं पाई गई। अतः फर्म अपने आप में स्वतः ही बंद अवस्था में होना प्रतीत है। संस्था को प्रेषित कारण बताओ नोटिस व स्पॉट रिपोर्ट के क्रम निम्नानुसार स्थिति पाई गईः–

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	पुस्तिका मांगने पर उपलब्ध नहीं करवायी गयी।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है।
2	परिसर में फर्म का नाम प्रदर्शित नहीं पाया गया।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
3	दिनांक 01.01.17 के बाद का फार्म 26 मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
4	फर्म पर अनुमोदित मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट श्री विजय कुमार कटियार एवं एनालिटिकल केमिस्ट श्री विवेक कटियार अनुपस्थित पाये गये एवं फर्म के अध्यक्ष श्री विमल कटियार भी अनुपस्थित पाये गये।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
5	परिसर में किसी भी प्रकार की गॉज/बेण्डेज का निर्माण कार्य नहीं किया जाना पाया गया एवं गॉज/बेण्डेज के निर्माण बाबत काम में आने वाले उपकरण/मशीनरी (हैण्डलूम) का संधारण किया **जाना पाया गया एवं वर्तमान में लाईसेंस परिसर में किलोल फेब्रिक्स** के नाम से फर्म संचालित पायी गयी जिसमें कपडों की रंगाई छपाई का काम किया जाना पाया गया।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है

6	गॉज/बेण्डेज का भौतिक स्टॉक शून्य पाया गया।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
7	फर्म पर गॉज/बेण्डेज के विक्रय बाबत संधारित करंट बिल बुक मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही फर्म पर संधारित पायी गयी।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
8	संस्था के पिछले तीन वर्षों के बिजली के बिलों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
9	संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में गॉज बेण्डेज के निर्माण बाबत खरीद किये गये सूत के बिल/ट्रांसपोर्ट बिल्टी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
10	संस्था द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन साल में भुगतान की गई सैलेरी की जांच बाबत कर्मचारी हाजरी रजिस्टर/उपस्थिति पंजिका, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं पेमेंट स्लीप इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है।
11	संस्था द्वारा गॉज/बेण्डेज के थान की ब्लीचिंग बाबत संबंधित दस्तावेज चाहने पर उपलब्ध नहीं किये गये।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है।
12	संस्था के परिसर में गॉज/बेण्डेज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला किसी भी प्रकार का हैण्डलूम नहीं पाया गया।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है
13	संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रकार की गॉज/बेण्डेज का निर्माण/उत्पादन एवं विक्रय नहीं किया गया है।	समय–समय पर स्मरण पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।	फर्म द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण विवेचना आवश्यक नहीं हैं एवं अनियमितता की प्रमाणितता सत्यापित है।	अनियमितता प्रमाणित है

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसी द्वारा नियमावली के नियम 124–C एवं शिड्यूल–एफ(II) सपठित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), 18-B एवं लाईसेंस की शर्तो (नियम 74 के विभिन्न बिन्दु जो प्रपत्र 25 से संबंधित) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित हैं।

अतः मैं राज कमल छीपा, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-1547 प्रपत्र 25 मय सभी प्रोडक्ट परमिशन पर दिनांक 18.06.1992 को जारी जो दिनांक 31.12.2016 तक वैद्य है एवं आगामी नवीनीकरण हेतु आवेदितशुदा को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरूद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।

(राजकमल छीपा)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/आरकेसी/मेन्यू कॉटन- 5 /2017/79 दिनांक : 8/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
5. औषधि नियंत्रक-प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. फर्म मैसर्स M/s Jaipur Jai Hind Hathkargha Vastra Utpadak Sahkari Samiti Ltd, F-19, Kartarpura Indl. Area,Bais Godam, Jaipur (Raj.) को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित है।
11. श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सबल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
12. श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर।
13. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
14. थानाधिकारी, पुलिस थाना, महेश नगर, जयपुर।
15. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई-मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
16. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

08/09/2017

(राजकमल छीपा)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।